



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230029
CG-DL-E-29092021-230029

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3659]
No. 3659]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/आश्विन 6, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 3993(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग) के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2827(अ) तारीख 14 अगस्त 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 2505 तारीख 20 अगस्त 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी; और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 17 सितंबर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा) की उपधारा 61के अ (धीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड एच.पी.सी.एल) में निहित होगा)

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम,के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए 10 कि धारा 1962 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और (एल.सी.पी.एच) पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : कल्याणदुर्गम		जिला : अनंतपुरम्		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कल्याणदुर्गम	वारला	129/1	00	01
2	कल्याणदुर्गम	मुदिनयानीपल्ली	181	00	18
3			378/2	00	06
4			636/2	00	01
5			565/3	00	01
6	कल्याणदुर्गम	मनीरेवु	280/1	00	03
7			631/1	00	53
8			631/2	00	36
9			631/3	00	25
10			632/2	00	54
11			633/2	00	47
12			637/2	00	84
13			637/3	00	11
14			623/3	00	56
15			622/1	00	32
16			613/2	00	80
17			387/3	00	17
18			387/2	00	36
19			382/2	00	32
20			382/3	00	11
21			383/3	00	32
22			383/2	00	32
23			254	00	06

24			578/3	00	07
25			71	00	05
26	कल्याणदुर्गम	मनीरेवु	770/1	00	58
27			770/2	00	17
28			769/3	00	53
29			433	00	01
30			429	00	01
31			484/1	00	01
32			484/2	00	19
33			485	00	52
मंडल : आत्माकूर		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आत्माकूर	पदमातीयालेरु	408/2	00	02
2			203/1	00	01
3			204/3	00	02
4			133/3	00	32
5			133/4	00	32
6			133/5	00	10
मंडल : कुडेरु		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुडेरु	थीम्मापुरम	287	00	02
2	कुडेरु	कुडेरु	144	00	01
3			328/2	00	03
4			323	00	02
5			516	00	01
6			540/2A	00	02
7	कुडेरु	कामुरु	212	00	02

8	कुडेरु	कामुरु	266/1	00	11
9			305	00	01
10			306	00	45
11	कुडेरु	गोटुकुरु	122	00	01
12			166/2	00	03
13			312	00	01
14			165/2	00	12
15			130/8	00	10
16			130/9	00	08
17			130/10	00	04
18			130/11	00	01

मंडल : बुकरायासमुद्रम		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बुकरायासमुद्रम	पोदराला	56/3	00	03
2			18/1	00	01

मंडल : गारलादीने		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गारलादीने	मोरताडू	72/3	00	02
2			70/7	00	03
3			57/2	00	03
4			20	00	02
5			58/2	00	28
6	गारलादीने	गारलादीने	348/4	00	15
7			346/2	00	01
8			321	00	02
9	गारलादीने	बुदेडू	114/4	00	04
10	गारलादीने	मुंतिमाडुगु	120/1/B	00	02

11			106/3	00	01
12			67	00	03
मंडल : पामिडी		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पामिडी	वंकाराजूकालवा	342	00	04
2			346	00	03
3			214	00	05
4			218/A	00	05
5			21	00	14
6			23	00	03
7			24/C	00	30
8	पामिडी	नेमल्लापल्ली	34/C	00	01
9			127/5	00	01
10	पामिडी	देवरापल्ली	232	00	01
11			204/A	00	04
12			196	00	01
13			16/A	00	03
14	पामिडी	अक्कजमपल्ली	170	00	04

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 3993(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No.2827 (E) dated 14th August 2020, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.2505 dated the 20th August, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 17 September 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Kalyandurgam		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kalyandurgam	Varla	129/1	00	01
2	Kalyandurgam	Muddinayanipalli	181	00	18
3			378/2	00	06
4			636/2	00	01
5			565/3	00	01
6	Kalyandurgam	Manirevu	280/1	00	03
7			631/1	00	53
8			631/2	00	36
9			631/3	00	25
10			632/2	00	54
11			633/2	00	47
12			637/2	00	84
13			637/3	00	11
14			623/3	00	56
15			622/1	00	32
16			613/2	00	80
17			387/3	00	17
18			387/2	00	36
19			382/2	00	32
20			382/3	00	11

21			383/3	00	32
22			383/2	00	32
23			254	00	06
24			578/3	00	07
25			71	00	05
26			770/1	00	58
27			770/2	00	17
28			769/3	00	53
29			433	00	01
30			429	00	01
31			484/1	00	01
32			484/2	00	19
33			485	00	52
Mandal: Atmakur		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Acres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Atmakur	Padamatiyaluru	408/2	00	02
2			203/1	00	01
3			204/3	00	02
4			133/3	00	32
5			133/4	00	32
6			133/5	00	10
Mandal: Kudair		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kudair	Thimmapuram	287	00	02
2	Kudair	Kudair	144	00	01
3			328/2	00	03
4	Kudair	Kudair	323	00	02

5			516	00	01
6			540/2A	00	02
7	Kudair	Kammuru	212	00	02
8			266/1	00	11
9			305	00	01
10			306	00	45
11	Kudair	Gotukur	122	00	01
12			166/2	00	03
13			312	00	01
14			165/2	00	12
15			130/8	00	10
16			130/9	00	08
17			130/10	00	04
18			130/11	00	01
Mandal: Bukkarayasamudram		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Acres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bukkarayasamudram	Podaralla	56/3	00	03
2			18/1	00	01
Mandal: Garladinne		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Acres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Garladinne	Marthadu	72/3	00	02
2			70/7	00	03
3	Garladinne	Marthadu	57/2	00	03
4			20	00	02
5			58/2	00	28
6	Garladinne	Garladinne	348/4	00	15
7			346/2	00	01

8			321	00	02
9	Garladinne	Budedu	114/4	00	04
10	Garladinne	Muntimadugu	120/1/B	00	02
11			106/3	00	01
12			67	00	03
Mandal: Pamidi		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No	Area	
				Acres	Acres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pamidi	Vankarajukalva	342	00	04
2			346	00	03
3			214	00	05
4			218/A	00	05
5			21	00	14
6			23	00	03
7			24/C	00	30
8	Pamidi	Nemallapalle	34/C	00	01
9			127/5	00	01
10	Pamidi	Devarapalle	232	00	01
11			204/A	00	04
12			196	00	01
13			16/A	00	03
14	Pamidi	Akkajampalle	170	00	04

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.